

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR. (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, राष्ट्रीय विद्यालय

आईएआरआई कैम्पस, पूरु, नई दिल्ली-110012.

दिनांक 15.09.2020

सेवा में,

श्रीमती लीलावती प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000141)

इन्द्रपुरी, धौली प्याऊ, गथुरा पिन 281204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉब/ 2020 लखनऊ. दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिससे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में न मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही निरवधान रूप से जारी रहेगी।

अपने कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

आपकी

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



CR Phane BSmed
18/9/20


संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री रामजी लाल प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09000317)

केहरी गद्दी, राया, मथुरा पिन कोड - 281204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



OK
CR Please Done
18/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

3

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एस0आर0एल0 प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09002052)

पाण्डवा, राया, मथुरा, पिन कोड - 281204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय .


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



JK
CR
15/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवा में,

एसओएमडीओ प्रा0आई0टी0आई0, (PR09002048)

राधा रोड, गौसना, मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।


(रवि शंकर)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (C)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
भाईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

वी0डी0पी0सी0 मैमोरियल प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900130)

सोनई, मथुरा, पिन कोड - 281206

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।
महोदय .

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ.
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

रवि चिलुकोटी
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



CRP
18/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

6

सेवा में,

रामवती देवी प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000232)

सोनई, मथुरा, पिन कोड - 281206

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



5/6
CR please
18/9/20
18/9/20

21/6/20
(रवि चिलकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

राज प्रा0आई0टी0आई0, (PU09001597)

वल्देव रोड, राधा, मथुरा, पिन कोड - 281204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिससे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

8

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020


सेवा में,

भारतीय प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000125)
नया नगला रोड, नीयर रेलवे क्रॉसिंग राया,
मथुरा, पिन कोड - 281204विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।
महोदय .निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ,
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

CR for more
13/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एस0एल0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900700)

तम्बका, मथुरा, पिन कोड - 281308

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

/0

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

जी0डी0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900838)

मझली गढी, मदैम, राया, मथुरा, पिन कोड - 281204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिससे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

बी0के0 प्रा10 आई0टी0आई0, (PR09900471)

भदोह, राया, मथुरा. पिन कोड - 281204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

* आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OR
CR please



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, संरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री भगवान सिंह प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000439)

गढी खुसला, अनौडा राया मथुरा, पिन कोड - 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह प्रा0आई0टी0आई0. (PR09002100)

बढेरा, कूम्हा, मथुरा, पिन कोड - 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

26/9/2020
(रवि निसुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

14

सेवा में,

अमर प्रा0आई0टी0आई0, (PU09001599)

अडडा, कारव, मथुरा, पिन कोड - 281204

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।
- 2.



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

15

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एच0एस0सोकी प्रा0आई0टी0आई0 (PR09901312)

मगना, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में न मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@ugov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

आवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

Handwritten signature: Ravi Chikoti

Stamp: प्रशिक्षण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

16

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस जिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.
दिनांक: 15.09.2020

सेवा में,

मांगे सिंह नम्बरदार प्रा0आई0टी0आई0., (PR09901037)
सैदपुर.बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।
सहोदय .निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।


(रवि चक्रवर्ती)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

17

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में:

पिथलेश सिंकरवार प्रा0आई0टी0आई0. (PR09901036)

सैदपुर, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जांच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएँ पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

उत्तर मंत्र

सुनील कुमार गुप्ता

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

रवि
16/9/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ste
CR please
17/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

18

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

आर0एस0एस0 प्रा0आई0टी0आई0. (PR09900956)

सैदपुर, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।
महोदय .

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय


संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



सयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

निरपत सिंह सिंकरवार प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900449)

सैदपुर,बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलाने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं !


भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

20

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग.

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्यामा प्रा0आई0टी0आई0. (PR09900712)

मढौरा, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

सहोदय .


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जांच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।


प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

50
S. P. Khan, S. Khan
17/9/20



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

21

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एच0पी0आर0ए0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900454)

सैदपुर, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

- आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भारतीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।


(रवि चिकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण


Handwritten signature: Jle
Handwritten text: R Please Issue
Stamp: 19/9/20
Circular stamp: 19/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

आर0बी0एस0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001370)

मढौरा, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

26/09/2020
(सुनील कुमार गुप्ता)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OR 13/09/20
26/09/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

23

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

चमेली देवी प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09000228)

बन्सी, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ ऑथ/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसने यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भावदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

SR
CR Tolera Bred
18/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

24

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

आचार्य चौब सिंह प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001862)

किलोनी, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10 2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ;

- आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

25

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विभाग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110002

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री ओपीओधर्मा प्रा0आई0टी0आई0. (PR09900882)

गोकुल, मथुरा, पिन कोड - 281303

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयीं हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

- 1 निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



(रवि चिकुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

राम स्वरूप प्रा0आई0टी0आई0. (PR09900984)

जटोरा, बलदेव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जांच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

St
of
19/9/20

सेवा में,

एच0एस0वी0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900988)

अवैरनी, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@de.gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

मेवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

रवि
(रवि चिंतुकीटी) 15/9/20

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

CR please (35/9/20)



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

28

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस दिल्ली-08
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110017.
दिनांक: 15.09.2020

सेवा में,

बी0एस0पी0 प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09901254)

कन्जौलीघाट, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।


महोदय,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ.
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में न मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।


(सुनील कुमार गुप्ता)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

29

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

फतेह सिंह प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09000084)

नगला राय सिंह, पचावर, मथुरा, पिन कोड - 281308

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।


महोदय,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।


अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

29/9/2020
(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षणOK
CR please issued


डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

30

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्रीमती शान्ती देवी प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09001319)

इन्दावली, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरु की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

3)

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एस0एस0लाल प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09000870)

फतेहपुरा, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301.

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

24/9/2020
(रवि चिन्मोदी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

Handwritten signature and stamp of the Director, Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

चन्दन प्रीओ आईटीआई, (PR09000417)

नगला संजा, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भरटी
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OU
Chauhan BS68
12/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

34

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

कौटिल्य प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09001755)

ग्राम नगर, महावन, मथुरा, पिन कोड - 281206

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।
महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ,
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण




भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

ग्यान भारती प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001939)

अजय नगर, बल्देव रोड, मथुरा,

पिन कोड - 281305

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

36

सेवा में.

एसओएमओडीओ प्राओआईओटीओआईओ. (PR09900543)

गौसना, राया रोड, मथुरा,

पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय :

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

सेवा में,

श्रीमती धर्मवती भेदजीत सिंह प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09002107)

वरौली, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

बोहरे नरायन सिंह आर्य प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09001893)

गढी खाण्डा, बल्लेय, मथुरा, पिन कोड - 283126

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशांसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशांसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ;

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुगील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

39

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

आर0बी0एस0एस0 प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09002026)

सैदपुर, वत्तदेव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीयः



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

रवि 16/9/20
(रवि चिदुबोदी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

Handwritten signature and official stamp of the Director, Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

मौं करतूरी देवी प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09001983)

फतेहपुरा, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवतीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

५)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री जे0एस0 प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09002080)

अमीरपुर, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय :

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जांच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OR
ER Please Issued
12/9/20



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

राजदीर सिंह प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09002033)

सैदपुर, बल्लेवा, गथुश, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय .


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ole
CR 16/9/20



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

43

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

मास्टर टीकम सिंह प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09001997)

तैयापुर, लक्ष्मी नगर, मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशांसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशांसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OR
CR please issued
17/9/20



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

44

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

जय प्रा0 आई0टी0आई0, (PU09900396)

अजय नगर, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281305

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

टी0एस0 प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09900621)

इन्दावली, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।


महोदय,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

46

सेवा में,

आर0के0 प्रा0 आई0टी0आई0, (PU09900962)

कैलाश रोड, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 283001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ ऑच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

स्पीड पोस्ट द्वारा

[Handwritten initials]

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री सुन्दर सिंह प्रा0आई0टी0आई0. (PR09001767)

वल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ. दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

[Handwritten signature]

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

[Handwritten signature]
(रवि चिल्लाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

दुर्गा देवी प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09000380)

जटौसा रोड, बल्देव, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

26/9/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

Slc CR Bureau Bhand
12/9/20



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

शिवम प्रा0 आई0टी0आई0, (PU09900087)

बल्देव रोड नीधर गोपालपुर, मथुरा,

पिन कोड - 281305

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशांसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशांसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

21/9/20
(रवि चिलुकोटी) low

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

ole
Please Stamp
17/9/20



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री महाराज सिंह प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09900999)

दगला संजा, मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय :

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

रवि चिल्लाटी
(रवि चिल्लाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

su
CR please send
17/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

51

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री हीरालाल तेजो देवी ग्रा0 आई0टी0आई0. (PRO9000928)
आगरा-मथुरा रोड, एन0एच0-2, बरारी,
मथुरा, पिन कोड - 281005

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री शंकर सिंह प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09000526)
रैपुराजाट, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।


(रवि चंद्रा)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण


15/9/20

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020


सेवा में,

पन्ना प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09001702)
शाहपुर रोड, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281122विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।
महोदय .निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /श0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ,
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

54

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

काका डालचन्द प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09000655)
ओल. गधुरा. पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

28/09/20
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

55

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012;
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

धनवन्तरी प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09900876)

खसरा नं0-18 19 20 मौजा जलाल, फरह

मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

अनन्त प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09901303)
जलाल रोड, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

20/09/20
(रवि चिबुकीटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OK
CR please + issued
17/9/20



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

पं०मदनलाल प्रा० आईटीआई, (PR09000508)

धाना शमशाबाद, मथुरा, पिन कोड - 281005

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा०प०/ सं०/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।


प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



(रवि चित्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

58

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एम0एस0एस0 प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09901233)

महुअन, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

59

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एडिफाई प्रा0 आई0टी0आई0. (PR09900794)

शहजादपुर पौरी, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ ऑच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।


(रवि चित्कोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

60

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में

श्री नवल किशोर प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900978)
करनपुर चौराहा, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय .

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

17/9/20

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

द्रोपदी देवी प्रा0आई0टी0आई0. (PR09001776)

महुआन, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281622

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में न मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

कैप्टन भेंवर सिंह प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001896)

एन0एच0-2 टोल टैक्स, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

6/9
CR
15/9/20



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

अजीत प्रो0आई0टी0आई0, (PR09001868)
खुदी का नगला, मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री नत्थी सिंह प्रा0आई0टी0आई0, (PR09002098)
बलरई, मथुरा, पिन कोड - 281005

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

गुकदम बिहारी लाल प्रा0आई0टी0आई0. (PR09002002)

महुआन भीयर एन0एच0-2 टोल प्लाजा,

मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉब/ 2020 लखनऊ. दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



(रवि चिसुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OR
CR File
19/9/20



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

66

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री भौनी वावा प्रा0आई0टी0आई0, (PU09002081)

घड़या लालीफपुर, फरह, गथुग, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

देव प्रताप प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001910)

फरह, मथुरा, पिन कोड -- 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरु की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

26/9/20
(रवि चिन्मोदी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

लॉर्ड कृष्णा प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001974)

ओल, फरह, मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच बरवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।


(रवि शंकर)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण


डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विलिडिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली 110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एम0डी0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900288)

ओल, मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

संलग्निका



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

 (रवि सिलुकोटी)

SE
 SR pleem, Bond
 15/9/20


डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एहरान प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900434)
आगरा-मथुरा हाइवे, मथुरा, पिन कोड - 281122विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।
महोदय,निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ,
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


✓ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षणनोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

20/09/20
(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षणOR
CR Bureau
13/7/20


डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

71

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री गहेन्द्र प्रौआई0टी0आई0. (PR09900995)

बलरई, बरारी गथुरा, पिन कोड - 281005

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं. तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

72

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

पी0डी0 प्रा0आई0टी0आई0. (PR09001378)
किडरई मोड, शहजादपुर, फरह,
मथुरा, पिन कोड - 281122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशांसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशांसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

29/9/20
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

CR Preen, Smd
17/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

73

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

गथुरा प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000075)
वरुन विहार, सौंख रोड,
भथुरा, पिन कोड - 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।
प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।


(रवि चंद्रा)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

74

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

दक्ष प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000226)

सदोला, मथुरा, पिन कोड - 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।


(रवि चिसुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण




डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

75

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एम0एस0डी0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000251)

उपरी पोस्ट कोशी खुर्द मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय .


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीया

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण


17/9/20

सेवा में,

श्री जवालीराम रामकली देवी प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001322)

ई-7, भगवान नगर,एन0एच0-2,

मथुरा, पिन कोड - 281006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशांसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशांसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

77

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

ममता प्रा0आई0टी0आई0. (PR09000923)

राधिका विहार, रूकभनी देवी,

मथुरा, पिन कोड -- 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ ऑच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।


(रवि चित्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण


Ravi Chitkoti
17/9/20

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

एस0आर0आर0 प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001025)
नरहौली भरतपुर रोड, मथुरा, पिन कोड - 281006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण


14/9/20

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

समर्थ प्रा0आई0टी0आई0, (PRO9000370)

सुन्दरवन, वालाजीपुरम मथुरा, पिन कोड - 281006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ.
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ;

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

रवि धिलुकोटी
(रवि धिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OK
12/9/20

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

महर्षि दयानन्द प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000391)

राल, मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

कैप्टन राकेश रमेश चन्द प्र10आई0टी0आई0, (PR09000425)

23 अवधपुरी लाजपत नगर मथुरा, पिन कोड - 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

482

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री बाबूलाल जवालीराम प्रा0 आई0टी0आई0, (PR09000423)

कृष्णधाम कॉलोनी, नवादा एन0एच0-2,

मथुरा, पिन कोड - 281006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

६३

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

बाबा हरचन्द सिंह प्रा0आई0टी0आई0, (PR09000450)
पवनकुम्भ मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।

26/9/2020
(रवि चिलुवाडी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

ग्लोबल प्रा0आई0टी0आई0. (PU09001800)

सोनई, मथुरा, पिन कोड - 281006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



(रवि चित्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

रमन लाल वृजवासी एकेडमी फ़ोर फायर एण्ड डिरेक्टर मैनेजमेण्ट प्रा0आई0टी0आई0, (PR09001821)
दिल्ली-आगरा बाईपास रोड,
नीयर गण्डी चौराहा, मथुरा, पिन कोड - 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ,
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

21/9/20
(रवि चिबुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

86

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

मॉ अतरकॉर प्रा0आई0टी0आई0, (PRO9900183)

धना तेजा, मथुरा, पिन कोड - 281005

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।


महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं. तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी .

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

सरस्वती प्रा0आई0टी0आई0. (PU09002063)

वृजराज कॉलोनी, महौली, मथुरा, पिन कोड --281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

गुवि/6/9/20
(यदि चिह्नकारी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

De
ce p
12/9/20



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

११

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

गोपाल प्रो0आई0टी0आई0, (PR09001935)

चनौरा, मथुरा, पिन कोड - 281003

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय .

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जॉच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



(रवि चिकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

मां रामदुलारी प्रा0आई0टी0आई0, (PU09001985)

पवन कुंज, मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

all
cr please issue
12/9/20



डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

90

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

मां रेशम देवी भगवान दास प्रा0आई0टी0आई0, (PU09900892)

सराय अजमाबाद, मथुरा, पिन कोड - 281004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते है ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

रवि 13/9/20
(रवि चिलुकीटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

क/क CP Ramesh

90



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

ट्रियू वैल्यू प्रा0आई0टी0आई0, (PR09900753)
औरंगाबाद, मथुरा, पिन कोड - 281006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में न मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।


(रवि चन्द्र)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

बाबा साहेब अम्बेडकर प्रा0आई0टी0आई0 (PR09001382)

नरहोली भरतपुर रोड मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ. दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

प0टी0एन0 प्रा0आई0टी0आई0 (PR09000525)
गाव सलेमपुर मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ,
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें
यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके
लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु
कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के
अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह
माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

21/9/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

जी0सिटी0.प्रा0आई0टी0आई0 (PR09900674)

सी 51 नटवर नगर धोली प्याऊ मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

बाबा जोहरी प्रा0आई0टी0आई0 (PR09901026)

पूजा विहार कोलोनी, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ.
दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

OK
CA Tele...
18/9/20



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

श्री बजरंग प्रा0आई0टी0आई0 (PR09000233)

उमरी मथुरा, पिन कोड - 281001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय ,


निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

अखिल भारतीय प्रो0आई0टी0आई0 (PR09000219)
भरतपुर रोड मथुरा, पिन कोड - 210001

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिससे यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिराके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।

रवि 6/9/2020
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

84
CR placed
15/9/20



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

चन्दनवन प्रा0आई0टी0आई0 (PR09000329)

भरतपुर रोड मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशांसा के बारे में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जॉच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशांसा की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

> आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण




स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

मौ राम कली देवी प्रा0आई0टी0आई0 (PR09901114)

आनन्दवन टाउनसिप मथुरा, पिन कोड - 281301

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न).

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



स्पीड पोस्ट द्वारा

डीजीटी-Daff/69/2019- O/o DIR (TC)(उत्तर प्रदेश)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.09.2020

सेवा में,

आर0के0जे0 प्रा0आई0टी0आई0 (PR09900928)

शिव स्टेट टाउनशिप औरंगाबाद मथुरा, पिन कोड - 281006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पत्रांक: 5280/ टी-3 /रा0प0/ सं0/ जाँच/ 2020 लखनऊ, दिनांक 14/07/2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की महानिदेशालय को दिनांक 31.07.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि शिकायत प्रकरण में जाँच करवाए जाने पर संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं जिसके लिए डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर (01.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ आप कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं ।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट:- यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ- 226004 उत्तर प्रदेश ।



(रवि चतुर्वेदी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

